

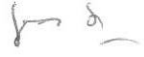
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/4409

दिनांक:-18/09/2019

आदेश संख्या:-483/2019-20

इस विभाग के पूर्व आदेश संख्या 118/2018-19 दिनांक 14.06.2018 के अनुसार राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनकी स्वयं की प्रार्थना पर किया गया था। उक्त आदेश को प्रशासनिक कारणों से राज्य हित में प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/4409

दिनांक:-18/9/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
- 2 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
- 4 कोषाधिकारी, (शहर) कोष एवं लेखा विभाग, उदयपुर।
- 5 जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक) बांसवाड़ा।
- 6 संबंधित कनिष्ठ लेखाकार श्री को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित कर पालना रिपोर्ट इस विभाग को तुरंत भिजवाएँ।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)